

किस्म मुकदमा धारा २१२ P.T.A

नु.नं १०५ ल १९
२०१३/००१६७

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुकम को तामिल में जारी हुए
३१९११९	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ P.T.Aके तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली वाद तामिल तकमील वस्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक २५/१०/१९को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर</p>	
२५/१०/१९	<p>पत्रावली केवा दुर्ग/ जारों के अधिपत्रता उपस्थित है। सम्मन तामिल होकर प्राप्त नहीं हुए। पुनः सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक १९/१०/१९ को पेश हो</p>	
१९/१०/१९	<p>पत्रावली केवा दुर्ग/ जारों के अधिपत्रता उपस्थित है। विपक्षी वाक्पत्र दुर्ग के उपस्थित नहीं है। अल इन्फे रिज लाय एड तारका वापस करी जारी है। पत्रावली दिनांक २५/१२/१९ को पेश हो।</p>	
२५/१२/१९	<p>पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष डाकियकरा उपस्थित दोनों पक्ष रेकार्ड एवं मोक में मथ/स्वेत वनाम रखे पर सदमत होकर अर्पण अर्पण दस्तावर किम प्रकार में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश १(१) स्वीकार किया जाय</p>	<p><i>(Signature)</i> Hans</p>

दोनो पट्टो की सदस्यता के आधार पर
 झारखण्ड का पार्चण्ड पत्र स्वीकार कर
 कोदेश दिया जाता है कि पार्चण्ड
 पत्र में वर्णित आराजी नं: 2443 स्कूल
 1.08 ई.व. के बाकें गाम खेमागा की
 रेकार्ड एवं मोके की प्रथा स्थिति
 बनाये रखे. किसी तरह का विक्रय
 हस्तान्तरण नही करे. कोई पत्र किसी
 तरह का प्रचल नही करे। पञ्जावली में
 मूलकांड के अन्तर्गत प्रक प्रथा स्थिति
 बनायी रखे. पञ्जावली जेलखण्ड शुभार
 होकर गम्बर से कम होकर मूलकांड
 के साथ सलोक हो।

(Signature)

24/2/19

(सुन्दरलाल बाबू)

R.A.5

सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर (मीलवाडा)

